

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समूल पत्र बायदार कुरुओंने जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि एक अन्य प्राधिकारी के बास ले।  
सम्बन्धित विषय पर अदृ पूर्व में पत्र  
बायदार हुआ हो तो एक क्रमांक एवं दिनांक  
अंक लगा जाए जिसे सुनिश्च हो।



रेप्लिकः

कुलसंचेत,  
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2014/ 1531

ग्राम : गुबीपरियाँ  
दूरभाव : 0091-(0751)-244189  
(कायांत्रिय)  
2442462 (जिगांड)  
फैक्टर : (0091-0751)-2341-268  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu>


दिनांक : 11-02-15

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2014 के पद क्रमांक (02) के विर्णवानुसार **विक्रान्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट** ग्वालियर को सत्र 2014-15 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.ए.एम. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. पूर्व की शर्तों के अनुसार एम.ए.एम. के लिये 04 शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की जावे।
2. अन्य स्टॉफ की नियुक्ति एम.ए.एम. के लिये नियमानुसार की जावे।
3. शिक्षकों को भुगतान बैंक से किया जावे।
4. रुपये 50,000/- की पुस्तकें एम.ए.एम. के लिये क्रय की जावे जिसका विवरण पृथक रखा जावे।
5. कॉलेज कोड 27-28 का पालन करें।

अदेशानुसार  
  
कुलसंचेत

मेर्यादा,

1. प्राचार्य, विक्रान्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर
2. आगुका, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सरपुडा भवन, भोपाल।
3. शेषीय अतिरिक्त संबलक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंदरा संभाल केन्द्रीय विभाग, विविध विभाग।
4. उप-कुलसंचेत (उत्तीका/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधिकारी, पर्याला कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर संबद्धता पर्याला कार्यवाही हेतु।

उपकुलसंचेत (सम्बद्धता)